

प्रमुख

श्री अशोक शर्मा,
संयुक्त शिक्षक,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

शिक्षक
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
प्रति शिक्षक नई दिल्ली।

दिनांक 170 अनुभाग


संख्या: दिनांक: 07 मई, 1999


विषय:- न्यू बीर शिक्षा परिषद स्कूल पिथौरागढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कर्तव्य हुआ है कि न्यू बीर शिक्षा परिषद स्कूल पिथौरागढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय श्री पंजीकृत सौतापड़ी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा।
- 141 सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैश्व शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिन कार डिप्टिवन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वार्सिगन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 151 सेवा शिक्षक एवं शिक्षितर कार्यारियों को रावडीय सहायता प्राप्त शिक्षण सेवाओं के कार्यारियों को अनुमन्त्र वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कार्यारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतकीय उत्पत्त माध्यमिक विद्यालयों के कार्यारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।


Principal
New Beersheba Public School
Pithoragarh


MANAGER
New Beersheba Public School
Pithoragarh

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिजर्व विधार्थित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के निरुपेक्षित होगा और यदि किसी तमाम घट पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या गिथिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामसित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

पुस्तक संख्या 692111/15-7-1999 तदुद्दिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवनायक एवं आवारक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ सडन मैनीताम।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, अखीर शिक्षा स्कूल पिथौरागढ़।

आप से,

[Signature]
अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

[Signature]
Principal
New Beersheba Public School
Pithoragarh

जिला विद्यालय निरीक्षक
पिथौरागढ़.

[Signature]
MANAGER
New Beersheba Public School
Pithoragarh